सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.- NCST/ATY-309/JH/9/2022-APCR

Date : 08.10.2024

सेवा मे,

1. **श्री अनुराग गुप्ता**
   पुलिस महानिदेशक,
   झारखंड
   डीजीपी कार्यालय झारखंड
   एचईसी प्रशासन, रांची, झारखंड 834004
   E.mail : dgp@jhpolice.gov.in

2. **श्री कपिल चौधरी**
   पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण
   पुलिस अधीक्षक कार्यालय
   जनरल पोस्ट ऑफिस के पास,
   कस्तूरबा नगर, धनबाद, झारखंड 826001
   E.mail: sprural-dhanbad@jhpolice.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को पुलिस थाना, बाधमारा के थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों द्वारा अवेधानिक रूप से पुलिस हिरासत मे बंदी रखने मारपीट करने एवं जातिगत गली गलोच करने एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के बारे मे श्री सोमया सोरेन, ग्राम सुदामडीह, जिला धनबाद का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट/ 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच.आर मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि:

श्री सोमया सोरेन
आवास सं –M/394,
सुदामडीह रिवर साइड,
पोस्ट + थाना सुदामडीह
जिला धनबाद -828126, झारखण्ड
Ph – 9631274506

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(1) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(2) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं NCST/ATY-309/JH/9/2022-APCR

श्री सोमाय सोरेन, ग्राम- सुदामडीह, जिला- धनबाद, झारखंड की पुलिस द्वारा उत्पीड़न के संबंध की शिकायत के मामले में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 06.09.2024

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

आयोग को श्री सोमाय सोरेन, ग्राम- सुदामडीह, जिला- धनबाद का अभ्यावेदन दिनांक 25.10.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें आरोपित किया गया है कि दिनांक 25.7.2021 की रात्री को पुलिस थाना, बाधमारा के थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा अवैधानिक रूप से उन्हे जबरन घर से उठा कर पुलिस हिरासत मे बंदी रखा गया। पुलिस हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट एवं जातिगत गाली गलोच की गई। दो दिन बाद उन्हे पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया। इस प्रकार उनके साथ पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया है। अभ्यावेदनकर्ता द्वारा मामले मे दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है।

2. आयोग द्वारा इस मामले में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक, जिला- धनबाद, झारखंड को दिनांक 08.04.2022 को नोटिस भेजा गया था और 30 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी। जिसके सम्बंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला- धनबाद, झारखंड की ओर से दिनांक 05.07.2024 का जवाब प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होने बताया है कि जांच में पाया गया है कि बाघमारा थाना कांड के अभियुक्त श्रीमति किरण कुमारी, श्रीमति चम्पा देवी के द्वारा श्रीमति बुधनी देवी के बेटे कि हत्या का मामला सही पाया गया है जिस कांड की अभियुक्त श्रीमति किरण कुमारी द्वारा प्रार्थी श्री सोमाय सोरेन व उनके छोटे भाई संजय सोरेन का कांड में शामिल होना बता गया है जिसके

आशालकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24657271 Toll Free: 1800117777

कारण प्रार्थी को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई प्रार्थी के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का उपयोग करना रिपोर्ट में निराधार बताया है

3. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 06.09.2024 को पुलिस अधीक्षक, जिला - धनबाद, झारखंड के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, धनबाद ग्रामीण, झारखंड उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता श्री सोमय सोरेन व उनके साथ श्री रामनाथ सोरेन भी प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित हुए।

5. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस अधीक्षक, धनबाद ग्रामीण, झारखंड ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए। जिसमें उन्होने बताया की अभियुक्त श्रीमति किरण कुमारी द्वारा स्वीकारोक्ति में प्रार्थी श्री सोमय सोरेन का नाम नही लिया गया, प्रार्थी ने सुनवाई में बताया कि उसे थाने पुलिसकर्मी श्री प्रमोद, श्री पिंटू कुमार व श्री सूबेन्द्रु ने गंदी गंदी गलियाँ दी गई व पानी मांगने पर सूबेदार कुमार जाधव बड़ा बाबू ने उसके मुँह पर पेशाब कर दिया, उन्हे बहुत ज़ोर से मारा था जिस बजह से अब वे रोजगार भी नहीं कर सकते।

6 प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. प्रार्थी को SC/ST(PoA) अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान किया जाए ।

2. आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ SC/ST(PoA) अधिनियम के तहत एफ़आईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए।

3. मामले में पुलिस अधीक्षक स्तर पर पुनः अनुसंधान किया जाए।

4. प्रार्थी सम्पूर्ण घटना की थाना प्रभारी हरियापुर को लिखित में शिकायत दे।

6. भविष्य मे आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए।

कार्रवाई रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आयोग में प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
12/09/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
Case File No.- NCST/ATY-309/JH/9/20222-APCR

List of participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri R.K. Dubey
Deputy Director

Shri Shubhashis Rasik Soren
Legal Consultant

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Shri Vivekanand Shukla
Investigator

Officers from O/o the Superintendent of Police, Dhandad and Officers from O/o Deputy Commissioner Dhanad

Shri Kapil Choudhary, Superintendent of Police Rural, Dhanbad

Petitioners

Shri Somay Soren

Shri Ramnath Soren